



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 10, शुक्रवार, शाके -1943-दिसम्बर 31, 2021
Pausa 10, Friday, Saka 1943- December 31, 2021

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2021

संख्या प.2(3)अल्प.वक्फ/2021/RK/01982 :-केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 14 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्तियों को राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। इनके पद की अवधि पांच वर्ष होगी।

| क्र. सं. | नाम सदस्य | पता | निर्वाचक मण्डल का नाम | विशेष विवरण |
|----------|----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अशक अली टाक | 36, दादाबाडी, अल्का सिनेमा के पीछे, सीकर रोड, जयपुर। | मुस्लिम संसद सदस्य (पूर्व सांसद), धारा 14 (1)(बी)(i) | निर्विरोध निर्वाचित |
| 2 | श्री रफीक खान | पुत्र श्री छोटू खान, डी-135-सी, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर। | मुस्लिम विधायक सदस्य, धारा 14 (1)(बी)(ii) | निर्विरोध निर्वाचित |
| 3 | श्री सैयद शाहीद हसन | पुत्र श्री फारूकी हसन, ए-6 बी, सूरजनगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर। | मुस्लिम बार कॉन्सिल सदस्य, धारा 14 (1)(बी)(iii) | धारा 14(2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार एकल सदस्य होने से निर्वाचित |
| 4 | श्री शब्बीर अहमद शेख | 19/305, पुराने गुरुद्वारे के पास, सिविल लाईन रोड, गोपालगंज, भीलवाडा। | मुतवल्ली, धारा 14 (1)(बी)(iv) | निर्वाचित |
| 5 | श्री मोहम्मद यूसुफ | दरगाह शरीफ, सरवाड, जिला अजमेर। | मुतवल्ली, धारा 14 (1)(बी)(iv) | निर्वाचित |
| 6 | डॉ. खानू खान बुधवाली | ग्राम बुधवाली, पोस्ट भोजासर, तहसील-रतनगढ, जिला चुरू। | मनोनीत धारा 14 (1)(C) | मनोनीत |
| 7 | श्रीमती रेशमा | W/o डॉ. शेर मोहम्मद, | मनोनीत | मनोनीत (सुन्नी) |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| | | जोधपुर। | धारा 14 (1)(d) | |
| 8 | डॉ. राणा जैदी | W/o श्री हैदर जैदी (IPS), प्रो. अंग्रेजी विभाग, 6, किदवई नगर, इमली फाटक, टोंक रोड, जयपुर। | मनोनीत धारा 14 (1)(d) | मनोनीत (शिया) |
| 9 | श्री असलम शेर खान RAS | निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग | मनोनीत धारा 14 (1)(e) | मनोनीत |

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

पी.सी.किशन,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।